an>

Title: Need to grant official recognition to 'Ho' Language spoken by Kol, Munda and Ho Castes in tribal areas of Orissa, Jharkhand and West Bengal besides promoting Varanchiti script-laid.

श्री यशवंत लागुरी (क्योंझर): उड़ीसा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में कोल, मुंडा एवं हौ अनुसूचित जनजाति के 20 लाख लोगों के बीच हौ भाषा बोली जाती है। यह भाषा इन आदिवासी लोगों की मातृ भाषा है। इस भाषा की लिपि वरणचिटी है, जो संस्कृत के बहुत ही करीब है। परंतु इस भाषा एवं उपरोक्त लिपि का संरक्षण नहीं हो पा रहा है और बढ़ती शहरी संस्कृति में हौ भाषा लुप्त होने के कगार पर है। परंतु आदिवासी क्षेत्रों में हौ भाषा आम बोल चाल के रूप में बोली जा रही है, जो अति प्राचीन है। देश की योजनाओं को समझने के लिए एवं साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हौ भाषा को संविधान के भाग 17 के अध्याय 2 प्रादेशिक भाषा शीर्षक के अनुच्छेद 347 अंतर्गत उड़ीसा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में शासकीय भाषा की मान्यता दी जाये, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें एवं केन्द्र सरकार को भी आदिवासी विकास में सहायता मिल सके। साथ ही पठन-पाठन कार्य भी वरणचिटी लिपि में किया जाये, जिससे यहां के लोगों को साक्षर करने में काफी सहायता मिलेगी एवं इन लोगों को राष्ट्रीय विचारधारा में आसानी से लाया जा सकेगा।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त तीनों राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में बोली जाने वाली हौ भाषा को शासकीय मान्यता दी जाये एवं वरणचिटी लिपि को संविधान की आठवीं सूची में शामिल कराया जाए।